इण्डस्ट्रियल एरिया लखनपुर, स्माल इलेक्ट्रप्लेटिंग एसोसियेशन द्वारा इण्डस्ट्रियल एरिया लखनपुर के खसरा नं0–151/1 एण्ड 152/2 में प्रस्तावित परियोजना (75KLD Capacity Common Effluent Treatment plant) लगाये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी(नगर), आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 17.05.2018 को अपरान्ह 4.30 बजे कलैक्ट्रेट सभागार आगरा में सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

इण्डस्ट्रियल एरिया लखनपुर, स्माल इलेक्ट्रप्लेटिंग एसोसियेशन द्वारा इण्डस्ट्रियल एरिया लखनपुर, आगरा के खसरा नं0–151/1 एण्ड 152/2 में प्रस्तावित 75KLD Capacity Common Effluent Treatment plant लगाये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी(नगर), आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 17.05.2018 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्न है।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित इण्डस्ट्रियल एरिया लखनपुर, स्माल इलेक्ट्रोप्लेटिंग एसोसियेशन द्वारा इण्डस्ट्रियल एरिया लखनपुर के खसरा नं0–151/1 एण्ड 152/2 में प्रस्तावित 75KLD Capacity Common Effluent Treatment plant की स्थापना हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533, दिनांक 14.09.2006 के अर्न्तगत आच्छादित होने के कारण इस लोक सुनवाई हेतु नियमानुसार जनपद आगरा के दो प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक जागरण, अमर उजाला में दिनांक 17.04.2018 को आमसूचना का प्रकाशन कराया गया। पर्यावरणीय दृष्टि से परियोजना के विरोध में कोई लिखित आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोकसुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसके अर्न्तगत प्रकृति कन्सल्टेंट की प्रतिनिधि डॉ0 दिव्या मिश्रा द्वारा उपस्थित अधिकारीगण एवं जनमानस को संदर्भित परियोजना पर पावर प्वांइट प्रजेण्टेशन के माध्यम से संक्षिप्त प्रकाश डाला गया तथा अवगत कराया गया कि :–

- प्रस्तावित सी0ई0टी0पी0 ''औद्योगिक क्षेत्र लखनपुर स्माल इलेक्ट्रोप्लेटिंग एसोसियेशन'' द्वारा स्थापित और संचालित किया जायेगा।
- सदस्य इकाईयों से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह का शुद्धिकरण प्रस्तावित सी0ई0टी0पी0 के किया जायेगा।
- प्रस्तावित परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए आवश्यक अधिकांश कार्यबल को आसपास के क्षेत्रों से नियोजित किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में कोई पुनर्वास और पुनर्वास मुद्दे शामिल नहीं हैं।
- यह परियोजना मुख्य रूप से इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों से जनित प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से है। रोजगार उत्पादन और बाजार–वृद्धि के मामले में क्षेत्र के आर्थिक विकास पर कुछ प्रभाव

Scanned by CamScanner

परियोजना के अपेक्षित परिणाम हैं। परियेाजना एक उत्पादन इकाई नहीं है। परियोजना में कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रेणी की जनशक्ति पर रोजगार उत्पादन प्रभाव पड़ता है।

- प्रस्तावित परियोजना के लिए परियोजना की प्रत्यक्ष रोजगार क्षमता 10 व्यक्तियों के रूप में अनमानित है। हालांकि, अप्रत्यक्ष रोजगार क्षमता क्षेत्रीय अर्थवयवस्था में प्रमुख हिस्सेदारी होगी।
- एसोसिएशन आसपास के क्षेत्रों में समाजिक विकास और कल्याण उपायों की दिशा में कुल परियोजना लागत का 2प्रतिशत धनराशि निर्धारित करेगा।

परियोजना के सक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के पश्चात प्राप्त निम्नलिखित आपत्ति/सुझाव पर चर्चा की गई:–

1. **प्रश्न** : सर्वप्रथम श्री नीरज गुप्ता, बांईपुर, सिकन्दरा, आगरा द्वारा पूछा गया कि उक्त परियोजना के अर्न्तगत कितनी इकाईयॉ स्थापित होंगी।

   उत्तर : प्रकृति कन्सल्टेंण्ट की प्रतिनिधि डॉ0 दिव्या मिश्रा द्वारा बताया गया कि उक्त परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान में लगभग 30 इकाईयॉ स्थापित होना प्रस्तावित है।

2. **प्रश्न** : श्री अजीम अहमद, सिकन्दरा द्वारा पूछा गया कि उक्त परियोजना में कितना वेस्ट पानी जनरेट होगा।

   उत्तर :प्रकृति कन्सल्टेंण्ट की प्रतिनिधि डॉ0 दिव्या मिश्रा द्वारा बताया गया कि उक्त परियोजना के अर्न्तगत जितना उत्प्रवाह जनित होगा उससे अधिक क्षमता (75के0एल0डी0) का Common Effluent Treatment plant स्थापित किया जा रहा है। जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकरण के पश्चात प्रकिया में पुनः प्रयोग किया जायेगा तथा कुछ शुद्धिकृत उत्प्रवाह को गार्डनिंग एवं फ्लशिंग आदि में भी प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है।

3. **प्रश्न** : श्री अजीम अहमद, सिकन्दरा द्वारा पूछा गया कि उक्त परियोजना में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा।

   उत्तर :प्रकृति कन्सल्टेंण्ट की प्रतिनिधि डॉ0 दिव्या मिश्रा द्वारा बताया गया कि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लगभग 5,000 लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।

Scanned by CamScanner

लोकसुनवाई के उपरान्त अपरजिलाधिकारी (नगर), आगरा द्वारा उपरोक्त वर्णित आश्वासन/सहमति के आधार पर शत प्रतिशत अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ परियोजना के कियान्वयन हेतु सहमति प्रदान की गई। उक्त के आधार पर लोक सुनवाई सदन द्वारा सर्वसम्मति के साथ निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है:–

1. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना परियोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ न किया जाए।
2. परियोजना के कारण यमुना नदी/अन्य वाटर बॉडी/नेचुरल ड्रेन/नाले आदि प्रभावित न होने पायें।
3. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा सम्बन्धित विभागों से नियमानुसार अनापत्ति/क्लीयरेंस प्राप्त कर ली जाए।
4. वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि परियोजना प्रस्तावकों द्वारा न्यूनतम वृक्षों के पातन एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियमानुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय से यथावश्यकतानुसार अनुमति प्राप्त की जाए।
5. परियोजना हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कराया जायें।
6. निमार्ण के समय होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्ततन मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.01.2018 को जारी नोटिफिकेशन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. यह सुनवाई केवल प्रस्तावित 75KLD Capacity के Common Effluent Treatment plant की स्थापना हेतु है तथा इसके अंतर्गत अन्य कार्य आदि के लिए पृथक रूप से आवश्यकतानुसार अनुमतियॉ/क्लीरेंस प्राप्त किया जाए।
8. यह सुनिश्चित किया जाए कि क्षेत्र में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न होने पाए तथा इसके लिए आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्टार्म वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था की जाए।
9. जनपद आगरा एवं सम्पूर्ण परियोजना स्थल टी0टी0जेड0 के अर्न्तगत स्थित है एवं परियोजना की स्थापना/संचालन मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं टी0टी0जेड0 अथॉरिटी द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश/निर्देश के अनुसार ही की जायेगी।
10. परियोजना के टी0टी0जेड0 आच्छादित क्षेत्र में निर्माण/कियान्वयन के पूर्व टी0टी0जेड0 प्राधिकरण, आगरा से अनुमति प्राप्त की जाए।

अंत में सभी उपस्थित सदस्यों एवं जनमानस का अभार प्रकट करते हुए लोक सुनवाई सम्पन्न हुई।

संलग्नकः– वीडियो सीडी।

Atulesh yadav 17/05/18
(अतुलेश यादव) 17/05/18
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा।

17/5/18
(के0पी0 सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नगर),
आगरा।

Scanned by CamScanner